



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर


एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/परिपत्र/09/1181-333 दिनांक 31/05/2012

समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान  
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान  
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान  
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

परिपत्र संख्या 24

विधानसभा में विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पारित करने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा की गयी है कि "मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के माध्यम से नवजीवन योजना के समस्त जिलों के लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाना प्रस्तावित है।"

अतः इस विभाग द्वारा जारी पूर्व पत्र क्रमांक एफ 29(26) एन.आर.एच.एम./एम.एम.जे. आर.के./ जोधपुर/09/267-80 दिनांक 19.04.2010 के अतिक्रमण में अब मुख्यमंत्री बी.पी. एल. जीवन रक्षा कोष योजना के तहत राज्य के समस्त जिलों में जिन परिवारों/व्यक्तियों के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी नवजीवन योजना का कार्ड होगा उन परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाई जावे। इस संबंध में योजना के तहत पूर्व में जोधपुर शहर की चार नट व सांसी बस्तियों (सांसी बस्ती भदवासिया, नट बस्ती मसूरिया, सांसी बस्ती रातानाड़ा और नट बस्ती बनाड़ रोड़) हेतु जारी पहचान पत्र भी मान्य होंगे।


  
(बी.एन.शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, माननीया संसदीय सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त सचिव, एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
15. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर।
17. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
19. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
20. परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम./एम.एम.जे.आर.के. स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
22. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
23. संयुक्त निदेशक, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
24. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
25. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
26. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अपने जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
27. प्रभारी सर्वर रूम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
28. सलाहाकार— (आई.टी) एम.एम.जे.आर.के. को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वेबसाइट पर उपलोड करवाये।

  
 मिशन निदेशक  
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन